

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,  
गाजियाबाद सम्भाग-ए गाजियबाद ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-190 दिनांक 04-06-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री सत्य पाल सिंह फर्मस्वामी सर्वश्री विजय प्रिन्टर्स, गाजियाबाद जिनकी दिनांक 11-10-2020 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।



(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-1 गाजियाबाद ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, गाजियाबाद ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,  
लखनऊ सम्भाग-ए लखनऊ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-1675 दिनांक 17-03-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री सोनू अवस्थी, फर्मस्वामी सर्वश्री चन्दन इन्टरप्राइजेज, हरदोई जिनकी दिनांक 25-06-2020 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें। उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए। बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।



(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-1 लखनऊ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, हरदोई।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,  
लखनऊ सम्भाग-ए लखनऊ ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-135 दिनांक 29-05-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री संजय साहू फर्मस्वामी सर्वश्री संजय कुमार बट्टी प्रसाद, लखनऊ जिनकी दिनांक 27-08-2020 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-1 लखनऊ ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, लखनऊ ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्र संख्या-बजट-38(9)-अनाच्छादित-2-मु0व्य0दु0बी0यो0(2020-21)//

174 //वाणिज्य कर  
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,  
(बजट अनुभाग)  
लखनऊ :: दिनांक :: 29/6, 2021

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,  
अलीगढ़ सम्भाग-ए अलीगढ़ ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-2579 दिनांक 03-03-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री विशाल वार्ष्णेय फर्मस्वामी सर्वश्री विशाल ट्रेडर्स, अलीगढ़ जिनकी दिनांक 04-12-2020 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, अलीगढ़ जोन अलीगढ़ ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, अलीगढ़ ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्र संख्या-बजट-38(9)-अनाच्छादित-2-मु0व्य0दु0बी0यो0(2020-21)//

125

//वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,

(बजट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 29/6, 2021

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,**

**अयोध्या सम्भाग-ए अयोध्या ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-1124 दिनांक 28-08-2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री बृजेश कुमार वर्मा फर्मस्वामी सर्वश्री बहुउद्देशीय सहकारी संघ लिमिटेड, अम्बेडकरनगर जिनकी दिनांक 22-06-2019 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, अयोध्या जोन अयोध्या ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, अम्बेडकरनगर ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्र संख्या-बजट-38(9)-अनाच्छादित-2-मु0व्य0दु0बी0यो0(2020-21)//

176 //वाणिज्य कर  
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,  
(बजट अनुभाग)  
लखनऊ :: दिनांक :: 29/6 ,2021

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,  
बांदा सम्भाग बांदा ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-2421 दिनांक 23-03-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री अर्जुन सिंह फर्मस्वामी सर्वश्री शगुन इण्टरप्राइजेज, हमीरपुर जिनकी दिनांक 26-08-2020 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।



(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, झांसी जोन झांसी।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, हमीरपुर ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,**

**मुरादाबाद सम्भाग-बी मुरादाबाद ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-4092 दिनांक 25-03-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री दिनेश कुमार यादव फर्मस्वामी सर्वश्री यादव मेडिकल स्टोर, रामपुर जिनकी दिनांक 11-09-2020 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।



(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मुरादाबाद जोन मुरादाबाद ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, रामपुर ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,  
इटावा सम्भाग इटावा ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-113 दिनांक 07-06-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री नितेश कटियार फर्मस्वामी सर्वश्री कटियार इण्टरप्राइजेज, फतेहगढ़ जिनकी दिनांक 20-11-2020 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।



(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, इटावा जोन इटावा ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, फतेहगढ़ ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।



**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,  
बरेली सम्भाग-ए बरेली ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-171 दिनांक 05-06-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री रंजय कुमार फर्मस्वामी सर्वश्री आर0के0सरिया सीमेन्ट एण्ड हार्डवेयर, बहेडी जिनकी दिनांक 23-09-2020 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।



(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, बरेली जोन बरेली ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, बरेली ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,  
बरेली सम्भाग-बी बरेली ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-44 दिनांक 23-04-2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री धर्मवीर फर्मस्वामी सर्वश्री बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी, पीलीभीत जिनकी दिनांक 01-11-2020 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।



(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, बरेली जोन बरेली ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, पीलीभीत ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,  
इटावा सम्भाग इटावा।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-22 दिनांक 09-04-2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री अरविन्द दुबे फर्मस्वामी सर्वश्री कृष्णा आटो मोबाइल, राम लीला जसवन्त नगर, इटावा जिनकी दिनांक 29-10-2020 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें। उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि ₹0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए। बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।



(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, इटावा जोन इटावा।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, इटावा।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। \*

पत्र संख्या-बजट-38(160)-अनाच्छादित-2-मु0व्य0दु0बी0यो0(2020-21)//

182 //वाणिज्य कर  
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,  
(बजट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 28/6 ,2021

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,  
कानपुर सम्भाग-ए कानपुर ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-1198 दिनांक 31-03-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री अनिल कुमार फर्मस्वामी सर्वश्री यश ट्रेडर्स, सण्डीला रोड, उन्नाव जिनकी दिनांक 27-05-2020 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।



(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-1 कानपुर ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, उन्नाव ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,**

**मुरादाबाद सम्भाग-बी मुरादाबाद ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-37 दिनांक 08-04-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा फर्मस्वामी सर्वश्री शर्मा एण्ड को0, इस्लाम नगर, चंदौसी जिनकी दिनांक 12-12-2020 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।



(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मुरादाबाद जोन मुरादाबाद ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, सम्भल ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,  
मीरजापुर सम्भाग मीरजापुर ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-388 दिनांक 03-06-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री जगनारायण फर्मस्वामी सर्वश्री आरवी ट्रेडर्स, मीरजापुर जिनकी दिनांक 01-12-2019 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन-2 वाराणसी ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, मीरजापुर ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,  
मीरजापुर सम्भाग मीरजापुर ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-387 दिनांक 03-06-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री प्रेम चन्द्र चौहान फर्मस्वामी सर्वश्री पिन्टू आर्ट्स, भदोही जिनकी दिनांक 05-01-2020 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।



(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन-2 वाराणसी ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, मीरजापुर ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्र संख्या-बजट-38(9)-अनाच्छादित-2-मु0व्य0दु0बी0यो0(2020-21)//

186 //वाणिज्य कर  
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,  
(बजट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 18/6, 2021

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,  
आगरा सम्भाग-ए आगरा ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-1914 दिनांक 22-03-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री सुधीर कुमार जैन फर्मस्वामी सर्वश्री मुस्कान उद्योग, आगरा जिनकी दिनांक 03-09-2020 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।



(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, आगरा जोन आगरा ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, आगरा ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।



**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,  
झांसी सम्भाग झांसी ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-2217 दिनांक 06-03-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री प्रहलाद सिंह फर्मस्वामी सर्वश्री संगम टैक्टर्स, ललितपुर जिनकी दिनांक 07-10-2020 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, झांसी जोन झांसी ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, ललितपुर ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,  
प्रयागराज सम्भाग-बी प्रयागराज ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-108 दिनांक 31-05-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री चन्द्रिका प्रसाद फर्मस्वामी सर्वश्री ओम जी ट्रेडर्स, फतेहपुर जिनकी दिनांक 10-03-2020 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।



(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, प्रयागराज जोन प्रयागराज ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, फतेहपुर ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,  
(बजट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक ::: 29/6, 2021

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,  
वाराणसी सम्भाग-सी वाराणसी ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-2346 दिनांक 22-03-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री मोहम्मद तबरेज फर्मस्वामी सर्वश्री प्रधान बिल्डिंग मैटेरियल, जौनपुर जिनकी दिनांक 01-05-2020 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।



(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन-2 वाराणसी ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, जौनपुर ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्र संख्या-बजट-38(9)-अनाच्छादित-2-मु0व्य0दु0बी0यो0(2020-21)//

190

//वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,

(बजट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 29/6, 2021

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,  
वाराणसी सम्भाग-सी वाराणसी ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-2348 दिनांक 22-03-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री रंजीत कुमार गुप्ता फर्मस्वामी सर्वश्री कृष्णा ट्रेडर्स, जौनपुर जिनकी दिनांक 30-03-2020 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन-2 वाराणसी ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, जौनपुर ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,  
वाराणसी सम्भाग-सी वाराणसी ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-2347 दिनांक 22-03-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री राम प्रसाद सोनी फर्मस्वामी सर्वश्री आर0पी0 ज्वैलर्स, जौनपुर जिनकी दिनांक 14-06-2020 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।



(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन-2 वाराणसी ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, जौनपुर ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,  
मेरठ सम्भाग-ए मेरठ ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-47 दिनांक 07-04-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री सुन्दर पाल फर्मस्वामी सर्वश्री कश्यप ट्रेडर्स, मेरठ जिनकी दिनांक 13-01-2020 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।



(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मेरठ जोन मेरठ ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, मेरठ ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,  
झांसी सम्भाग झांसी ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-2101 दिनांक 24-02-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री भगवती प्रसाद गुप्ता फर्मस्वामी सर्वश्री पवन बारदाना एण्ड कम्पनी, उरई जिनकी दिनांक 15-10-2020 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।



(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, झांसी जोन झांसी ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, उरई ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,**

**प्रयागराज सम्भाग-बी प्रयागराज ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-80 दिनांक 12-04-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री कृष्ण कुमार गुप्ता फर्मस्वामी सर्वश्री श्रीराम ब्रिक्स फील्ड, फतेहपुर जिनकी दिनांक 25-06-2020 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।



(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, प्रयागराज जोन प्रयागराज ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, फतेहपुर ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।



**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,  
प्रयागराज सम्भाग-बी प्रयागराज ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-18 दिनांक 03-04-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री राजकुमार फर्मस्वामी सर्वश्री राज ट्रेडर्स, फतेहपुर जिनकी दिनांक 24-10-2020 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, प्रयागराज जोन प्रयागराज ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, फतेहपुर ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,  
वाराणसी सम्भाग-सी वाराणसी ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-2348 दिनांक 22-03-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री पंकज कुमार विश्वकर्मा फर्मस्वामी सर्वश्री जे0पी0 वस्त्रालय, जौनपुर जिनकी दिनांक 03-03-2020 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।



(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन-2 वाराणसी ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, जौनपुर ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,  
गोरखपुर सम्भाग-बी गोरखपुर ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-1105 दिनांक 31-03-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री प्रमोद शंकर तिवारी फर्मस्वामी सर्वश्री तिवारी ब्रदर्स, देवरिया जिनकी दिनांक 26-10-2020 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।



(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गोरखपुर जोन गोरखपुर ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, देवरिया ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,  
सहारनपुर सम्भाग-ए सहारनपुर ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-1894 दिनांक 26-03-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री मनोज कुमार गुप्ता फर्मस्वामी सर्वश्री यू0 कनैक्ट टैक्नालॉजी झण्डा चौक, मेन बाजार, सहारनपुर जिनकी दिनांक 17-10-2018 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।



(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, सहारनपुर जोन सहारनपुर ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, सहारनपुर ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,  
मेरठ सम्भाग-ए मेरठ ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-47 दिनांक 07-04-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री रविकान्त फर्मस्वामी सर्वश्री माही एन्टरप्राइजेज, मेरठ जिनकी दिनांक 15-02-2020 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।



(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मेरठ जोन मेरठ ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, मेरठ ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,  
इटावा सम्भाग इटावा ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-112 दिनांक 07-06-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री महाराज सिंह यादव फर्मस्वामी सर्वश्री माँ अम्बे ट्रेडर्स, इटावा जिनकी दिनांक 01-09-2019 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।



(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, इटावा जोन इटावा ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, इटावा ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,  
कानपुर सम्भाग-डी कानपुर ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-1389 दिनांक 26-03-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री राकेश शुक्ला फर्मस्वामी सर्वश्री शुक्ला ट्रेडिंग कम्पनी, कानपुर जिनकी दिनांक 19-11-2020 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।



(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-2 कानपुर ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, कानपुर ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,**

**मीरजापुर सम्भाग मीरजापुर ।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-389 दिनांक 03-06-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री प्रिन्स फर्मस्वामी सर्वश्री गणेशट्रेडर्स, भदोही जिनकी दिनांक 06-09-2020 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें । उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है ।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए । बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी ।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।



(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन-2 वाराणसी ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, भदोही ।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।



**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर,  
मैनपुरी सम्भाग मैनपुरी।**

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-842 दिनांक 24-03-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्व0 श्री मधु तिवारी फर्मस्वामी सर्वश्री सुमित कुमार तिवारी, मैनपुरी जिनकी दिनांक 11-01-2021 को मृत्यु हो गयी थी, के बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-271/11-04-2021-400(94)/2000टी0सी दिनांक 18-06-2021 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें। उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि रु0-10.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उक्त मद में आवंटित बजट का समयान्तर्गत इसी वित्तीय वर्ष में उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाए। बजट के लैप्स होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।



(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- 1- एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, इटावा जोन इटावा।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, मैनपुरी।
- 3- बजट आवंटन पटल, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

एडीशनल कमिश्नर(लेखा), वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।\*